

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-7/2015/1383/37-1-2015-9(52)/2014
लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2015

कार्यालय-आदेश

डा0 हरदेव सिंह यादव, संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 पशु चिकित्सा परिषद, लखनऊ को एतद्द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ रजिस्ट्रार, उ0प्र0 पशु चिकित्सा परिषद का अतिरिक्त प्रभार अग्रिम आदेशों तक प्रदान किया जाता है।

2- उक्त कार्य हेतु डा0 हरदेव सिंह यादव को कोई अतिरिक्त वेतन/ विशेष वेतन/द्वैत कार्यभार भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

3- संबंधित अधिकारी आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-7/2015/1383(1)/37-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 3- संबंधित अधिकारी, द्वारा- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 4- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।